न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 76 / 2022
दायर दिनांक : 12 / 12 / 2022
निर्णय दिनांक : 11 / 07 / 2024

उनवान

1. राकेश पिता खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. कैलाश पुत्र खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
3. कौशल्या पुत्री खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
4. गंगा पुत्री खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
5. पुष्पा पत्नी खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह उर्फ डूंगरसिंह पिता खुमाणसिंह निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. श्यामकुंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह उर्फ डूंगरसिंह निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
3. नरेन्द्रसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
4. प्रकाशचन्द्र पिता वरदा माली निवासी नवलपुरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम नवलपुरा प.ह. कानडखेड़ा के खाता सं. 60 की आ.सं 51 रकबा 0.10 है., आ.सं. 52 रकबा 0.05 है, आ.सं. 56 रकबा 0.45 है., आ.सं. 57 रकबा 0.70 है., आ.सं. 85 रकबा 0.05 हे. आ.सं 86 रकबा 0.04 है., आ.सं. 87 रकबा 0.03 है., आ.सं. 88 रकबा 0.04 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.04.15 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर